डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **43/2022** दायर दिनाँक **07.02.2022**

वादीगण

1. दीन मोहम्मद पुत्र स्व0 हुसैन जाति सिलावट उम्र 71 वर्ष निवासी सिलावटो का मोहल्ला, फतेहपुरी गेट, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जान मोहम्मद पुत्र हुसैन उम्र 41 वर्ष
2. फजलुदीन उर्फ फजलुरहमान पुत्र हुसैन उम्र 63 वर्ष
3. अहमद रफीक उर्फ मोहम्मद रफीक पुत्र हुसैन उम्र 57 वर्ष
4. चांद बानो पत्नि हुसैन उम्र 96 वर्ष
5. जैनब बानो पत्नि अली मोहम्मद उम्र 64 वर्ष
6. बानो पुत्री अली मोहम्मद उम्र 46 वर्ष
7. आरिफ सिलावट पुत्र अली मोहम्मद उम्र 44 वर्ष
8. मो0 आसिफ पुत्र अली मोहम्मद उम्र 36 वर्ष
9. मो0 मोहसिन पुत्र अली मोहम्मद उम्र 29 वर्ष
10. रहमत बानो पुत्री अली मोहम्मद उम्र 38 वर्ष
11. जुबेदा पुत्री हुसैन पत्नि अयुब उम्र 61 वर्ष
12. मोबिना पुत्री हुसैन पत्नि नबाब सिलावट उम्र 49 वर्ष समस्त जाति सिलावट निवासीगण सिलावटो का मोहल्ला, फतेहपुरी गेट, डीडवाना जिला नागौर राज0।
13. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **12.04.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सय्यद अल्ताफ हुसैन वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मण्डाबासनी खेत खसरा सं0 661, 662, 652 में नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है माफिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 6 व 10 ने अपना सम्पूर्ण हक कलेम प्रति0 सं0 5, 7, 8, 9 के पक्ष हक तर्क किया, प्रति0 सं0 11 व 12 खसरा सं0 661 व 652 में अपना सम्पूर्ण हक कलेम वादी व प्रति0 सं0 1 ता 3, 5, 7 ता 9 के हक में तर्क किया व खसरा सं0 662 में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रति0 सं0 11 व 12 का वादी व अन्य प्रतिवादीगण के साथ रहेगा, प्रति0 सं0 4 उक्त खसरा सं0 661, 652, 662 में कोई हक हिस्सा लेना नही चाहती है तथा अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3, 5, 7 ता 9 के हक में तर्क किया। प्रतिवादी सं0 [illegible] का नाम सम्पूर्ण खसरा0 सं0 661, 652, 662 से हटाया जाता है व [illegible] 11, 12 का नाम खसरा सं0 661 व 652 से हटाया जाता है, प्रति0 सं0 [illegible] का [illegible] के स्थान पर फजलुदीन व प्रति0 सं0 3 का नाम मो0 रफीक के [illegible] रफीक किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्त हो। [illegible] हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **12.04.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 43/2022 दायर दिनाँक 07.02.2022

वादीगण

1. दीन मोहम्मद पुत्र स्व0 हुसैन जाति सिलावट उम्र 71 वर्ष निवासी सिलावटो का मोहल्ला, फतेहपुरी गेट, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जान मोहम्मद पुत्र हुसैन उम्र 41 वर्ष
2. फजलुदीन उर्फ फजलुरहमान पुत्र हुसैन उम्र 63 वर्ष
3. अहमद रफीक उर्फ मोहम्मद रफीक पुत्र हुसैन उम्र 57 वर्ष
4. चांद बानो पत्नि हुसैन उम्र 96 वर्ष
5. जैनब बानो पत्नि अली मोहम्मद उम्र 64 वर्ष
6. बानो पुत्री अली मोहम्मद उम्र 46 वर्ष
7. आरिफ सिलावट पुत्र अली मोहम्मद उम्र 44 वर्ष
8. मो0 आसिफ पुत्र अली मोहम्मद उम्र 36 वर्ष
9. मो0 मोहसिन पुत्र अली मोहम्मद उम्र 29 वर्ष
10. रहमत बानो पुत्री अली मोहम्मद उम्र 38 वर्ष
11. जुबेदा पुत्री हुसैन पत्नि अयुब उम्र 61 वर्ष
12. मोबिना पुत्री हुसैन पत्नि नबाब सिलावट उम्र 49 वर्ष समस्त जाति सिलावट निवासीगण सिलावटो का मोहल्ला, फतेहपुरी गेट, डीडवाना जिला नागौर राज0।
13. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री सय्यद अल्ताफ हुसैन वकील वादी।
2. श्री गनी मोहम्मद वकील प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **12.04.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है। वादी के पिता हुसैन पुत्र कादर ही खातेदारी व कब्जा काश्त के वर्तमान खेत खसरा सं0 661 रकबा 2.1500 हैक्टे0, खसरा सं0 662 रकबा 0.5700 हैक्टे0, खसरा सं0 652 रकबा 1.5500 हैक्टे0 वाके सरहद मण्डाबासनी पटवार हल्का दादुबासनी भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना अवस्थित रहे है। उपरोक्त वर्णित खेताय में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 5 ता 10 के पिता स्व0 अली मोहम्मद एवं प्रतिवादी सं0 11 व 12 का संयुक्त रूप से बराबर बराबर हक अधिकार व स्वामित्व जरिये उत्तराधिकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है।

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त ख[illegible]री व [illegible]ा काश्त की भूमि के खसरा सं0 661 रकबा 2.1500 हैक्टे0, खसरा सं0 [illegible] रकबा 0.5700 हैक्टे0 की भूमि में वादी के पिता स्व0 हुसैन के [illegible] के पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 10 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। परन्तु प्रतिवादी सं0 11 व 12 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नही हो सका। प्रतिवादी सं0 11 व 12 स्व0 हुसैन की पुत्रियां है। खसरा सं0 652 रकबा 1.5500 हैक्टे0 वर्तमान में वादी के पिता स्व0 हुसैन पुत्र कादर के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी के पिता स्व0 हुसैन का दिनांक 24.03.1999 को स्वर्गवास हो गया। जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 12 है।

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच उपरोक्त शामलाती खातेदारी की भूमि का उनके पिता स्व0 हुसैन के जीवनकाल में ही उन्होने अपने समस्त पुत्रों व पुत्रियों को भौतिक व अलग–अलग बंटवारा कर अलग–अलग भूमि बंट करके दे दी थी और बंट अनुसार ही पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर स्व0 हुसैन के समय से अलग अलग नींवे सींवे कायम कर काबिज व काश्त चले आ रहे है। वर्षो पूर्व हुए भौतिक रूप से बंटवाड़ा अनुसार नजरी नक्शा अनुसूची "अ" वाद के साथ पेश है जो इस वाद का अभिन्न अंग है।

प्रार्थना वादी की निम्न प्रकार है ::–

यह है कि वर्तमान खेत खसरा सं0 661 रकबा 2.1500 हैक्टे0, खसरा सं0 662 रकबा 0.5700 हैक्टे0, खसरा सं0 652 रकबा 1.5500 हैक्टे0 वाकै सरहद मण्डाबासनी की भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 12 के मध्य बंटवाड़ा किया जाकर अलग अलग खातेदारी अमल दरामद करवायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी सं0 3, 8, 9, 13 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 07, 10, 11, 12 की तरफ से राजीनामा पेश हुआ माफिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 6 व 10 ने अपना सम्पूर्ण हक कलेम प्रति0 सं0 5, 7, 8, 9 के पक्ष हक तर्क किया, प्रति0 सं0 11 व 12 खसरा सं0 661 व 652 में अपना सम्पूर्ण हक कलेम वादी व प्रति0 सं0 1 ता 3, 5, 7 ता 9 के हक में तर्क करती है व खसरा सं0 662 में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रति0 सं0 11 व 12 का वादी व अन्य प्रतिवादीगण के साथ रहेगा, प्रति0 सं0 4 उक्त खसरा सं0 661, 652, 662 में कोई हक हिस्सा लेना नही चाहती है तथा अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3, 5, 7 ता 9 के हक में तर्क करती है। प्रति0 सं0 02 का नाम फजलुरहमान के स्थान पर फजलुदीन व प्रति0 सं0 3 का नाम मो0 रफीक के स्थान पर अहमद रफीक किया जाना उचित प्रतित होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" अनुसार खातेदारी चाहते हैं। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, नजरी नक्शा अनुरूप डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मण्डाबासनी खेत खसरा सं0 661, 662, 652 में नजरी नक्शा अनुसूचि ''अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है माफिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 6 व 10 ने अपना सम्पूर्ण हक कलेम प्रति0 सं0 5, 7, 8, 9 के पक्ष हक तर्क किया, प्रति0 सं0 11 व 12 खसरा सं0 661 व 652 में अपना सम्पूर्ण हक कलेम वादी व प्रति0 सं0 1 ता 3, 5, 7 ता 9 के हक में तर्क किया व खसरा सं0 662 में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रति0 सं0 11 व 12 का वादी व अन्य प्रतिवादीगण के साथ रहेगा, प्रति0 सं0 4 उक्त खसरा सं0 661, 652, 662 में कोई हक हिस्सा लेना नही चाहती है तथा अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3, 5, 7 ता 9 के हक में तर्क किया। प्रतिवादी सं0 04, 06, 10 का नाम सम्पूर्ण खसरा0 सं0 661, 652, 662 से हटाया जाता है व प्रति0 सं0 11, 12 का नाम खसरा सं0 661 व 652 से हटाया जाता है, प्रति0 सं0 02 का नाम फजलुरहमान के स्थान पर फजलुदीन व प्रति0 सं0 3 का नाम मो0 रफीक के स्थान पर अहमद रफीक किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **12.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner